



2026:AHC:18532

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 41148/2025

बजरूल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रवि शंकर त्रिपाठी
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 502/2024, धारा 131(8), 3(5), 109 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना आंवला, जिला बरेली में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन से विवेचना के दौरान सामने आया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक की गिरफ्तारी को पुलिस मुठभेड़ दिखाया गया है, जबकि वास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, बल्कि पुलिस द्वारा एक देशी तमंचे की झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण में दिनांक 13.12.2024 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है, इसलिए आवेदक की अभिरक्षा में पूछ-ताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका या हेतुक निश्चित नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 30.09.2024 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध 30 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, तथापि आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का प्रभावी खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़-छाड़ की संभावना तथा प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

अभियुक्त-आवेदक **बजरूल** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों को डराएगा/धमकाएगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से न्यायालय छूट न दे।

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

28 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।